प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/निदेशक,
परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त,
निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाएं।

पत्रांकः प्राशिप/परिषद/2024/ 3471 **लखनऊः दिनांकः** 02/08/2024

विषयः परिषद कार्यालय से पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं हेतु सम्बद्धता विस्तार शुल्क के संबंध में।

महोदय,

परिषद कार्यालय के पत्र सं0: प्राशिप/परिषद/2024/2068, दिनांकः 24.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं को निर्देशित किया गया था कि परिषद द्वारा सम्बद्धता शुल्क जमा करने हेतु अलग से दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे एवं सम्बद्धता विस्तार शुल्क प्राप्त होने के उपरान्त ही सम्बद्धता विस्तार पत्र प्रदान किया जायेगा।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि प्राविधिक शिक्षा अनुभाग– 3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0: 95/2024/आई/ 694626/2024/16–3099/156/2019, दिनांकः 19 जुलाई, 2024 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार सम्बद्धता विस्तार शुल्क निर्धारित किया गया हैः–

मद/कार्य	निर्धारित शुल्क रूपये में
निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थानों हेतु सम्बद्धता विस्तार शुल्क	इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु रू0 25000+जी0एस0टी0 (रू0 पच्चीस हजार मात्र+जी0एस0टी0) प्रति पाठ्यक्रम

उपरोक्त शासनादेश के अनुक्रम में परिषद से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा इन इंजनियरिंग संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित सम्बद्धता विस्तार शुल्क का भुगतान यू–राईज पोर्टल के माध्यम से करना सुनिश्चित करें। अन्य किसी भी माध्यम से सम्बद्धता विस्तार शुल्क जमा नहीं किया जायेगा।

इसके साथ यह भी अवगत कराना है कि ऐसी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाऐं **(सूची संलग्न)** जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम भी संचालित हो रहा है, उन्हें सम्बद्धता विस्तार शुल्क अभी नहीं जमा करना होगा। ऐसी संस्थाओं को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सत्र 2024–25 हेतु डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम का अनुमोदन विस्तार प्राप्त होने के उपरान्त डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम का सम्बद्धता विस्तार शुल्क एक साथ यू–राईज पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ0सं0: प्राशिप/परिषद/2024/ 3472-75 **तददिनांकः** 02/08/2024

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
4. नोडल अधिकारी यूराईज पोर्टल को उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

ई-मेल

संख्या-95/2024/आई/694626 /2024/16-3099/156/2019

प्रेषक,

प्रभाकर चन्द्र मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 19 जुलाई, 2024

विषयः- प्राविधिक शिक्षा परिषद से पूर्व से सम्बद्ध संस्थानों हेतु सम्बद्धता विस्तार शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2/2024/आई/465018/2024/16-3099/156/2019, दिनांक 05.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिप्लोमा/डिग्री स्तरीय संस्थाओं को सम्बद्धता की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)/सहमति (Consent of affiliation) व सम्बद्धता(Affiliation) प्रदान किये जाने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।

2. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 05.01.2024 के क्रम में शासनादेश संख्या-05/2024/आई/469612/2024/ 16-3099/156/2019 , दिनांक 11.01.2024 द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिप्लोमा संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र(NOC)/सहमति (Consent of affiliation) व सम्बद्धता(Affiliation) प्रदान किये जाने हेतु पंजीकरण एवं सम्बद्धता शुल्क का निर्धारण किया गया है।

3. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-2/2024/आई/465018/ 2024/ 16-3099/156/2019, दिनांक 05.01.2024 द्वारा निर्धारित की गई व्यवस्था के क्रम में कार्यालय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा किये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद से पूर्व से सम्बद्ध संस्थानों हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार सम्बद्धता विस्तार शुल्क निर्धारित किया जाता हैः-

मद/कार्य	निर्धारित शुल्क रुपये में
सम्बद्धता विस्तार शुल्क	इंजीनियरिंग पाठ्क्रम हेतु रु0 25000+ जी0एस0टी0 (रु0 पच्चीस हजार मात्र+जी0एस0टी) प्रति पाठ्यक्रम एवं फार्मेसी पाठ्क्रम हेतु रु0 50000+ जी0एस0टी0 (रु0 पचास हजार मात्र+जी0एस0टी)

4. कृपया डिप्लोमा सेक्टर के समस्त संस्थानों को उपर्युक्त निर्धारित सम्बद्धता विस्तार शुल्क से सूचित कराते हुए नियमानुसार अग्रतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भवदीय,

(प्रभाकर चन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवगतार्थ।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अध्यक्ष, ए0आई0सी0टी0ई/पी0सी0आई0/सी0ओ0ए0 नई दिल्ली ।
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
5. निदेशक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभाकर चन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Sr. No.	District	Inst Type	Inst Code	Inst Name	Address	Pincode
1	FARRUKHABAD	pvt	3362	DR. OM PRAKASH SCHOOL OF PHARMACY	BEWAR ROAD NEAR GAS PLANT NISAI FARRUKHABAD	209625
2	FARRUKHABAD	pvt	3370	SHRI JAY SINGH CHOTE SAHAB COLLEGE OF PHARMACY	KAKYOLI BABNA ROAD NAWABGANJ FARRUKHABAD	209502
3	GHAZIABAD	pvt	1560	H R INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY	7 TH KM,MEERUT ROAD, GHAZIABAD	201003
4	JAUNPUR	pvt	4433	PRASAD POLYTECHNIC	PUNCH HATIYA, SADAR JAUNPUR	222001
5	MATHURA	pvt	1220	MAHAVEER SINGH CHAHAR COLLEGE OF PHARMACY	HATHODA KARAB ADDA,TEHSIL-MAHAVAN,MATHURA	281301
6	MATHURA	pvt	1239	PCPS COLLEGE OF PHARMACY	USFAR SONKH ROAD,MATHURA	281004
7	MATHURA	pvt	1245	SMT.OMWATI DEVI COLLEGE OF PHARMACY	VILL-KOYAL,POST-RAYA,TEHSIL-MANT,MATHURA,U.P.	281204
8	HARDOI	pvt	2012	JIVIKA COLLEGE OF PHARMACY	VILL-MADARPUR,POST-BHARAWAN,TEHSIL-SANDILA,HARDOI	241202